

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231960 CG-DL-E-17122021-231960

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] No. 368] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

विषय : रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना सं. 24(1)/2020-डीपीडी-भाग (2).—

- 1. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में देशभर में डिजिटल भुगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है जहाँ वित्त वर्ष 2017-18 में लेनदेन की संख्या 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ हो गई है। वर्तमान की कोविड महामारी में, डिजिटल भुगतान, भुगतान के संपर्क-रिहत तरीकों के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा को सक्षम बनाता है और साथ ही अर्थव्यवस्था को गित प्रदान करता है।
- 2. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें और वृद्धि की संभावना है क्योंकि नकदी का प्रयोग अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। इसलिए, अप्रयुक्त बाजारों/खंडों/क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, डिजिटल भुगतानों के अंगीकरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
- 3. बजट घोषणा (वित्त वर्ष 2021-22) के अनुपालन में और देश में डिजिटल लेनदेन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, 01 अप्रैल, 2021 से एक वर्ष की अविध के लिए सरकार द्वारा रूपे डेबिट कार्ड लेनदेन (पी2एम) और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (₹ 2,000 तक) (पी2एम) के मूल्य के प्रतिशत का भुगतान करके अधिग्रहण करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।

7400 GI/2021 (1)

4. अधिग्रहण करने वाले बैंकों को सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा:

| रुपे डेबिट कार्ड | | |
|--|----------------------------|--|
| व्यापारी श्रेणी | प्रति लेनदेन प्रोत्साहन दर | |
| पीओएस और ईकॉम लेनदेन (उद्योग कार्यक्रमों के अलावा) | 0.40% ₹ 100 पर कैप्ड | |
| पीओएस और ईकॉम लेनदेन (उद्योग कार्यक्रम*) | 0.15% ₹ 6 पर कैप्ड | |
| *उद्योग कार्यक्रम, यानि बीमा, म्यूचुअल फंड, सरकार, शिक्षा, रेलवे, कृषि, ईंधन, आभूषण और अस्पताल। | | |
| भीम-यूपीआई पी2एम लेनदेन (₹ 2,000 तक) | | |
| व्यापारी श्रेणी | प्रति लेनदेन प्रोत्साहन दर | |
| उद्योग कार्यक्रमों के अलावा | 0.25% | |
| उद्योग कार्यक्रम* | 0.15% | |
| * उद्योग कार्यक्रम, यानि बीमा, म्यूचुअल फंड, सरकार, शिक्षा, रेलवे, कृषि, ऋण संग्रह, ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद, पीओआई | | |
| फंडिंग लेनदेन, दूरसंचार, उपयोगिता भुगतान, व्यवसाय/ व्यक्तिगत सेवाएं और अस्पताल। | | |

- सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए उद्योग कार्यक्रमों के तहत व्यापारियों द्वारा किए गए लेनदेनों पर कम प्रोत्साहन दर का प्रस्ताव किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
- ii. एनपीसीआई के परामर्श से एमईआईटीवाई, योजना के तहत निधियों के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा करे और तदनुसार उद्योग कार्यक्रमों को शामिल करे/हटाये।
- iii. प्रस्तावित योजना की अवधि 01 अप्रैल, 2021 से एक वर्ष तक है।
- iv. योजना का अनुमानित वित्तीय परिव्यय ₹ 1,300 करोड़ है।
- v. रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के बीच ₹ 1,300 करोड़ का आबंटन बदला जा सकेगा।
- vi. बैंकों को योजना की अंतिम तिमाही के अंत में रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष कम से कम 10% वृद्धि दर (कुल मिलाकर, पी2एम तक सीमित नहीं) और भीम-यूपीआई लेनदेन की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष कम से कम 50% वृद्धि दर (कुल मिलाकर, पी2एम तक सीमित नहीं) दिखाने की आवश्यकता है।
- vii. दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही आधार पर की जाएगी। दावों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर, दावा की गई राशि का 95% प्रत्येक तिमाही के बाद बैंकों को वापस कर दिया जाएगा। प्रत्येक तिमाही की दावा की गई राशि का शेष 5% ,योजना की अंतिम तिमाही के अंत में जारी किया जाएगा।
- viii. एमईआईटीवाई पिछली तिमाही के अंत में प्रत्येक बैंक के रूपे डेबिट कार्ड (मात्रा) और भीम-यूपीआई (मात्रा) लेनदेन की वृद्धि की समीक्षा करेगा। पिछली तीन तिमाहियों (प्रति तिमाही 5%) की लंबित राशि को अंतिम तिमाही की दावा की गई राशि के साथ केवल तभी जारी किया जाएगा, यदि बैंक निर्दिष्ट विकास दर को पूरा करता है, जिसका उल्लेख उपरोक्त पैरा vi में किया गया है, अन्यथा प्रतिधारित राशि, यानि पिछली तीन तिमाहियों के प्रति तिमाही 5% और अंतिम तिमाही की दावा की गई राशि का 5% बैंक को जारी नहीं किया जाएगा।
- ix. अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ प्रोत्साहन राशि साझा की जाएगी। स्टेकहोल्डरों के बीच प्रोत्साहन के वितरण का निर्णय एनपीसीआई द्वारा बैंकों के परामर्श से किया जाएगा।
- x. यह योजना भारत में परिचालन करने वाले बैंकों और भारत में किए गए लेनदेन पर लागू है।
- xi. योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश, एनपीसीआई के परामर्श से एमईआईटीवाई द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंकों को जारी किए जाएंगे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

Subject: Incentive scheme for promotion of RuPay Debit cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)

No. 24(1)/2020-DPD-Part(2).—

- 1. The Government is taking various initiatives to promote digital payments. Over past few years, digital payment transactions have witnessed tremendous growth across the country with the number of transactions growing from 2,071 crore in FY 2017-18 to 5,554 crore in FY 2020-21. In the present Covid pandemic, digital payments enable safety for citizens through contact-less modes of payments as well as provide impetus to the economy.
- 2. Although there has been unprecedented growth in digital payments over the past few years, there is potential for further growth as cash continues on a significant scale. It is, therefore, important to boost the adoption of digital payments, targeting untapped markets/ segments/ sectors.
- 3. In compliance with the Budget announcement (FY 2021-22) and to give further boost to digital transactions in the country, it has been decided by the Government to incentivise the acquiring Banks by way of paying percentage of value of RuPay Debit cards transactions (P2M) and low-value BHIM-UPI transactions (upto ₹ 2,000) (P2M), for a period of one year w.e.f. April 01, 2021.
- 4. The incentive to the acquiring banks will be provided by the Government at the following rates:

| RuPay Debit Card | | |
|---|--------------------------------|--|
| Merchant Category | Incentive rate per transaction | |
| PoS and eCom transactions (other than Industry Programmes) | 0.40% capped at ₹ 100 | |
| PoS and eCom transactions (Industry Programmes*) | 0.15% capped at ₹ 6 | |
| *Industry Programmes, i.e., Insurance, Mutual Fund, Government, Education, Railways, Agriculture, Fuel, Jewellery and Hospital. | | |
| BHIM-UPI P2M Transactions (upto ₹ 2,000) | | |
| Merchant Category | Incentive rate per transaction | |

| Merchant Category | Incentive rate per transaction |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Other than Industry Programmes | 0.25% |
| Industry Programmes* | 0.15% |
| | |

- * Industry Programmes, i.e., Insurance, Mutual fund, Government, Education, Railways, Agriculture, Debt Collections, Fuel, Petroleum products, POI Funding transaction, Telecommunication, Utility payments, Business/ Personal Services and Hospital.
 - i. To reduce the financial burden on the Government, lower incentive rate has been proposed on transactions done at merchants under Industry Programmes, as mentioned above.
 - ii. MeitY, in consultation with NPCI, may review from time to time the utilization of funds under the scheme and accordingly include/ exclude the Industry Programmes.
 - iii. The duration of the proposed scheme is one year, w.e.f. April 01, 2021.
 - iv. The estimated financial outlay of the scheme is $\ge 1,300$ crore.
 - v. The allocation of ₹ 1,300 crore will be fungible between RuPay Debit cards and BHIM-UPI.
 - vi. The Banks are required to show at least 10% YOY growth rate in number of RuPay Debit card transactions (overall, not restricted to P2M) and 50% YOY growth rate in number of BHIM-UPI transactions (overall, not restricted to P2M) at the end of last quarter of the scheme.

- vii. Reimbursement of the claims will be done on quarterly basis. On successful submission of the claims, 95% of the claimed amount will be reimbursed to the Banks after each quarter. The remaining 5% of the claimed amount of each quarter will be released at the end of last quarter of the scheme.
- viii. MeitY will review the growth of RuPay Debit card (volume) and BHIM-UPI (volume) transactions of each bank at the end of last quarter. The pending amount of the previous three quarters (5% per quarter) would be released with the claimed amount of the last quarter, only if the Bank meets the specified growth rate, as mentioned in Para vi. above, else the retained amount, i.e., 5% per quarter of the previous three quarters and 5% of the claimed amount of the last quarter will not be released to the Bank.
- ix. The incentive will be shared by the acquiring banks with other stakeholders. The distribution of the incentive amongst the stakeholders will be decided by NPCI in consultation with the Banks.
- x. The Scheme is applicable to the Banks having operations in India and transactions done in India.
- xi. The operational guideline for implementation of the scheme will be issued to the acquiring banks by MeitY in consultation with NPCI.

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.